प्रधानाचार्य. लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा. सिंचाई भवन, "बी ब्लाक", पंचम तल, सैक्टर 5, पंचकुला । **2**: 0172-2573875

सेवा में

हरियाणां राज्यं के सभा विभागाध्यका ।

टीए-(एटीआई)2012/ 802-915 यादि क्रमांक दिनांक 28-08-2012.

विषय:-स्टेट एस०ए०एस०, भाग-1 के उम्मीदवारों को लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा, पंचकला में प्रशिक्षण देना - 11वां कोर्स ।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

- आपको सुचित किया जाता है कि एस०ए०एस० भाग-। के प्रशिक्षण का 11वां कोर्स 24 सितम्बर, 2012 से 09 नवम्बर, 2012 तक प्रायोजित किया जा रहा है । इसलिये आपसे अनुरोध है कि आप अपने विभाग व अपने अधीनस्थ कार्यालयों से कर्मचारियों के नाम रिकमैण्ड करके प्रधानाचार्य, लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा, सिंचाई भवन, 'बी' ब्लाक, पंचम तल, सैक्टर 5, पंचकला को दिनांक 20.09.2012 भेजें । सिफारिश किये गये कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 'स्नातक' तथा सरकारी नियमित सेवा तीन वर्ष या इससे अधिक हो । जो कर्मचारी पहले एस०ए०एस०, भाग-। का आठ सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है तो कृपया ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिये न भेजा जाये
- नाम भेजते समय कृपया निम्नलिखित सूचना भी स्पष्ट रूप से भेजी जाये:-
- 1. कर्मचारी की जन्म तिथि
- 2. सरकारी सेवा में आने की तिथि नियमित व तदर्थ सेवा का ब्यौरा अलग–अलग स्पष्ट करें।
- 3. कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता
- 4. कर्मचारी के अन्तिम 10 वर्षी या यदि सेवा काल 10 वर्ष से कम हो तो कुल सेवा काल की गोपनीय रिपोर्टी का ब्यौरा :-

क. कूल रिपोर्टी की संख्या

ख. अच्छा, बहुत अच्छा तथा ०८५५ -घ. औसत से कम रिपोर्टी की संख्या ख. अच्छी, बहुत अच्छी तथा उत्कृष्ट रिपोर्टी की संख्या

ग. औसत रिपोर्टी की संख्या

ड उन रिपोर्टी की संख्या जिनमें कर्मचारी की ईमानदारी पर सन्देह प्रकट किया गया हो ।

केवल उन कर्मचारियों के नामों की सिफारिश की जाये जिनकी पिछले दस वर्षो, यदि सेवा काल दस वर्ष से कम हो तो कुल सेवा काल में 70 प्रतिशत गोपनीय रिपोर्ट अच्छी / बहुत अच्छी / उत्कृष्ट हो और इस अवधि में जिनकी ईमानदारी कभी सन्देहयुक्त न रही हो । विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष कृपया यह भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित करें कि जिन कर्मचारियों की वे इस कोर्स के लिये सिफारिश कर रहे है उनकी ईमानदारी कभी भी सन्देहयुक्त नहीं रही है।

- 5. कर्मचारी के आवेदन पत्र कृपया अपनी सिफारिश के साथ इस संस्थान को भेजें । यह भी. देखा गया है कि कर्मचारी एस0ए0एस0, भाग—ा की परीक्षा के लिये नियत पुस्तकों के बिना ही आ जाते हैं और उनमें बहुत से नियमों की प्रारम्भिक जानकारी के बिना होते हैं और न ही वे अच्छी तरह से लिखने की क्षमता रखते हैं। पुस्तकों / नियमों की प्रारम्भिक जानकारी तथा लिखने की क्षमता के बिना उनके लिये ठीक प्रशिक्षण प्राप्त करना सम्भव नहीं होता । इसलिये आपसे अनुरोध है कि उम्मीदवार के नाम की सिफारिश करने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित करें कि उनके पास निर्धारित पुस्तकों है और वे एस.ए.एस. परीक्षा को पास करने के लिये वास्तव में उत्सुक है और नियमों की जानकारी में रूचि और लिखने की पर्याप्त क्षमता रखते हैं तथा परिश्रमी है। उन कर्मचारियों को, जिन्होंने किसी अन्य ऐसे पद, जिस पर नियुक्ति के कारण उन्हें प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ना पड़े, के लिये आवेदन पत्र दिया हो, के नाम की सिफारिश न की जाये।
- 7. कर्मचारियों को प्रशिक्षण अविध के दौरान यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता नियम 2 88 सी०एस०आर०, खंड-।।। तथा अन्य सम्बन्धित अनुदेशों के अधीन सम्बन्धित विभाग से मिलेगा ।
- 8. कर्मचारी को पद मोचन करके इस संस्थान में दिनांक 24.09..2012 को प्रातः 11.00 बजे तक उपस्थित होने के आदेश दे । आपसे अनुरोध है कि प्रशिक्षणार्थी को पदमोचन करने से पूर्व कृपया आप फिर से देख ले कि यह कर्मचारी एस०ए०एस०, भाग–1 की परीक्षा देने के लिये सरकार द्वारा समय–समय पर बनाये हुये नियमों के अनुसार पूरी तरह से योग्य है । आप द्वारा ऐसे कर्मचारियों को इस संस्थान में भेजने से पहले नॉन–ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पैर एक बांड भी भरवाना होगा, जिसकी प्रति संलग्न है । इस बांड को आपने अपने कार्यालय में जिम्मेदार अधिकारी की देखरेख में सुरक्षित रखना है और इस संस्थान को केवल उसकी सूचना देनी है कि यह बांड भरवा लिया गया है ।
- 9. प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने के लिये फिलहाल छात्रावास का कोई प्रबन्ध नहीं हैं और उन्हें प्रशिक्षण के दौरान यहां पर ठहरने के लिये प्रबन्ध स्वयं करना होगा।

प्रधानाचार्य ँ लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा, √ पंचकुला ।

पृ०कमांक टीए-(एटीआई)-2012/ दिनांक

इसकी एक प्रति सभी बोर्डज़ व निगमों को सूचनार्थ भेजी जाती है । आपसे अनुरोध किया जाता है कि कृपया उन कर्मचारियों का नाम रिकमैण्ड करके भेजें, जोिक 'निर्धारित शर्तों को पूरी करता हो । आप के कार्यालय द्वारा 4000/— रूपये टयूशन फीस की राशि ड्राफ्ट द्वारा इस प्रशिक्षण पर उपस्थित होने के एक सप्ताह के अन्दर एकमुश्त जमा करवानी होगी । ड्राफ्ट प्रधानाचार्य, लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा, पंचकूला के पक्ष में देय होना चाहिये । प्रशिक्षण पर भेजने के लिये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लेना संस्थान/नियम/बोर्ड आदि की अपनी जिम्मेवारी होगी ।

FORM OF BOND FOR GOVERNMENT EMPLOYEES PROCEEDING ON S.A.S. PART-I TRAINING IN THE ACCOUNTS TRAINING INSTITUTE, HARYANA, SINCHAI BHAWAN, "B" BLOCK, 5TH FLOOR SECTOR 5, PANCHKULA.

This	indenture made	this	day	of		two
thousand six bety	ween Shri/Ms			son	/daugh	ter/wife of
Sh		(hereinafter	called the	obligor	which	expression
shall include his heirs, administrators, executors and legal representatives) of the one						
part and the Gov	vernor of Haryana	(hereinafter	called "the	Govt.")	which	expression
shall include his s	uccessors and assig	gnees of the o	other part.			

Whereas the obligor has been selected for undergoing training in connection with subordinate Accounts Service in the Accounts Training Institute, Haryana, Panchkula and the Govt. have agreed to bear all the expenses in relation to the said training and to make certain payments in the form of pay and allowances.

And whereas the conditions upon which the obligor has been selected to undergo training are that he will appear in the State Subordinate Accounts Service, Part-I Examination to be conducted by Government after the completion of his training except on medical grounds or due to other unavoidable circumstances for which he has to satisfy his Head of Department and that he will serve the State Govt. of Haryana at least 5 years after undergoing the training in the Accounts Training Institute and in the event of breach of these conditions he will be liable to pay to the Govt. all expenses incurred by the Govt. on his training including pay and allowances etc. together with interest thereon at the rate for the time being in force on Govt. loans and that if he is declared successful in Subordinate Accounts Services Examination conducted by the Govt. his services will be placed at the disposal of the Director, Treasuries and Accounts Department, Haryana for posting against vacancies of Section Officers in the Department concerned.

Now this indenture witnesseth that for the consideration aforesaid, the obligor both hereby convenient to appear in the State Subordinate Accounts Service, Part-I Examination to be conducted immediately after the completion of his training except or medical ground or due to other unavoidable circumstances for which he will

satisfy his Head of Department and that he will serve the State Govt. at least for five
years after undergoing the training in the Institution and in the event of any breach
thereof, he will pay to the Govt. all the expenses incurred by the State Govt. on his
training including pay and allowances etc. together with interest thereon at the rate for
the time being in force on Govt loans.
In witness whereof the said
(obligor's name) and for and on behalf of
the Govt. have hereinto set their respective hands the pay and year first above written.
Signature & Designation of the Obligor
Signature by the said obligor in
The presence of : -
1
2
(Signature of witness)
signed by (Name and designation)
For and on behalf of the Govt. of
Haryana in the presence of: -
1.
2

(Signature of witnesses)

Signature & Designation of the Officer